**दिनांक 06.02.2013 को मंथन सभागार, वन मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में डॉ॰आर॰बी॰एस॰ रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में आयोजित की गई उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति की नवीं बैठक का कार्यवृत्त तथा उपस्थिति का विवरणः–**

**उपस्थिति का विवरणः–**

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति।
2. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री।
6. मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री।
7. वन संरक्षक, कार्यालय, नोडल अधिकारी, देहरादून (प्रतिनिधि–अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण/नोडल अधिकारी)
8. वन संरक्षक, मुख्यालय, देहरादून – विशेष आमंत्री।
9. उप वन संरक्षक (IT & Moderanization), कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड – विशेष आमंत्री।
10. सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, देहरादून (प्रतिनिधि–वित्त नियंत्रक)
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

बैठक का शुभारम्भ करते हुये उत्तराखण्ड कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये कार्यकारी समिति (Executive Committee) की नवीं बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।

**एजेण्डा बिन्दु सं॰ 9.1: दिनांक 03.01.2013 को सम्पन्न हुई अष्ठम कार्यकारी समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्याः–**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि दिनांक 03.01. 2013 को सम्पन्न हुई अष्ठम कार्यकारी समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर हरिद्वार वन प्रभाग के अतिरिक्त किसी भी स्तर से अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई, जिसको कार्यकारी समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा गम्भीरता से लिया गया एवं निर्देश दिए गये कि कार्यकारी समिति के निर्णयों/निर्देशों को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय की भांति कार्यवृत्त को जोन में प्राप्ति के साथ जोन/वृत्त स्तर से अग्रेत्तर निर्देश अधीनस्थ को जारी किए जाएं तथा अनुपालन की स्थिति को सम्बन्धित वृत्त एवं जोन स्तर से कैम्पा कार्यालय को प्रेषित किया जाए, जिससे निर्देशों का पूरे जोन स्तर पर हुए अनुपालन की स्थिति से समिति अवगत हो सके एवं नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। जिन प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरुद्ध सक्षम स्तर से कार्यवाही की जाए।

***(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क)***

अष्ठम बैठक के कार्यवृत्त के **बिन्दु सं॰ 8.7** पर वर्ष 2011–12 के APO के वन पंचायत के सुदृढ़ीकरण के कार्यों की Concurrent Monitoring & Evaluation की रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने बावत् संयुक्त समिति के गठन का कार्यालय आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन एवं ऑडिट, उत्तराखण्ड को निर्देशित करते हुये उक्त रिपोर्ट को संयुक्त समिति द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अष्ठम बैठक के कार्यवृत्त के **बिन्दु सं॰8.8** पर कार्यकारी समिति द्वारा वन विभाग के सक्षम स्तरों को वित्तीय स्वीकृति जारी करने के प्रतिनिधायन को अनुमोदन प्रदान करने हेतु प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त बैठक के बिन्दु सं॰ 8.8 पर ही समिति के निर्देशों के क्रम में अन्य राज्यों यथा–कर्नाटक व आन्ध्रप्रदेश में कैम्पा क्रियान्वयन में अपनाई जा रही प्रणाली की खूबियों व वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधायन का अध्ययन कर उक्त को उत्तराखण्ड कैम्पा में अपनाए जाने हेतु आन्ध्र प्रदेश में प्राक्कलनों की स्वीकृति एवं प्रमाणक पारित करने हेतु वनाधिकारियों को किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की प्रति अवलोकनार्थ सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा आन्ध्रप्रदेश राज्य में अपनाई जा रही प्रणाली में से उपयुक्त खूबियों को भविष्य में उत्तराखण्ड राज्य में अपनाए जाने विचार कर लिया जाय।

*(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक–नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)*

**<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.2:</u> कैम्पा निधि के अन्तर्गत APO 2012–13 के क्रियान्वयन/प्रगति की अद्यावधिक स्थितिः–** सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 के सापेक्ष क्रियान्वयन/प्रगति की उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS से दिनांक 02.02.2013 को सृजित Hard Copy के अनुसार समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को Carry Forward सहित वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि रू॰ 4085.47 लाख के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि रू॰ 546.47 लाख है। उक्त अवमुक्त धनराशि में प्रभाग स्तर पर स्वीकृत APO के सापेक्ष वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु शतप्रतिशत तथा NPV घटक की अन्य तालिकाओं (1.a,1.b,1.c,1.e) व CA & Others हेतु लगभग 50% से अधिक की धनराशि अवमुक्त की गई है।

संचालन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 04.10.2012 के निर्देशों के क्रम में CAT Plans में PMU गठन, Micro Plan एवं संशोधित DPR बनाये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) के स्तर हेतु रु॰ 54.95 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि वन्य जीव परिरक्षण संगठन के अंतर्गत अधिकांश प्रभागों के स्तर पर कैम्पा निधि के अंतर्गत भौतिक प्रगति शून्य है तथा राजाजी पार्क के स्तर पर लगभग रु॰ 90.00 लाख का व्यय किया गया है, जिसकी MIS में प्रविष्टि होनी शेष है। समिति द्वारा अपेक्षा की गई कि समस्त व्यय की प्रविष्टि उच्च प्राथमिकता पर MIS में करा ली जाय।

**इस क्रम में समिति द्वारा निर्देश दिए गये कि जिन प्रभागीय वनाधिकारियों के स्तर से कैम्पा निधि के उपयोग में प्रगति धीमी है, उनको चिन्हित कर सूची प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनको प्रभाग के चार्ज में रखा जाना है अथवा नहीं, पर निर्णय हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।**

*(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क )*

**वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 के क्रियान्वयन की अत्यधिक धीमी प्रगति को संज्ञान में लेते हुये समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत सरकार के राज्य कैम्पा हेतु दिशा–निर्देशों एवं मा॰ सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सम्बन्धी निर्देशों तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूरक वृक्षारोपण व Others घटक के अंतर्गत वृक्षारोपण को प्राथमिकता दिए जाने के क्रम में इन घटकों के अतिरिक्त NPV घटक में अवमुक्त**

धनराशि के 75% व्यय की उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS में प्रविष्टि किये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग को धनराशि अवमुक्त की जाये।

*(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क व समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण)*

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.3: भारत सरकार के निर्देशों पर चर्चाः–** सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एड–हॉक कैम्पा) के पत्रांक–13-8/2010-CAMPA दिनांक 28.12.2012 के माध्यम से राज्य कैम्पा के APO को समय से प्रस्तुत करने सम्बन्धी मुद्दे पर वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एड–हॉक कैम्पा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं॰ 7 पर बैठक में हुए निर्णयों का सारांश निम्नानुसार उल्लिखित है –

(i) The Ad-hoc CAMPA will request all defaulting States to submit APOs, duly approved by the State CAMPA Steering Committee for utilization of funds earmarked to them till the financial year 2012-13, alongwith geo-coordinates of the works executed from CAMPA funds to the Ad-hoc CAMPA on or before 31st January 2013;

(ii) The OSD, Ad-hoc CAMPA will intimate tentative outlay (based on the principal amount available in ad-hoc CAMPA accounts of various States/UTs, as on 1st November 2012 or any other later date) of APOs of different States/UTs for the financial year 2013-14 and request them to submit APOs for the year 2013-14 to the Ad-hoc CAMPA on or before 28th February 2013;

(iii)The NIC will expedite extension of e-Green Watch portal to the remaining pilot States. All State CAMPAs will also be informed to draw a detailed plan to be part ot the e-Green Watch portal before 31st October 2013. NIC in the MoEF in consultation with the FSI and the concerned State CAMPAs will draw a detailed road map for entry of all State CAMPAs in e-Green Watch portal before 31st October, 2013.

**भारत सरकार के पत्रों (पत्रांक–** 13-8/2010-CAMPA **दिनांक 28.12.2012 व पत्रांक–** 15-2/2012-CAMPA(34) **दिनांक 02.01.2013 एवं पत्रांक–** 1-34/2012-CAMPA **दिनांक 10.01.2013) का अवलोकन कर पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में चर्चा कर समिति द्वारा निम्नानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गयाः–**

1. उत्तराखण्ड राज्य से सृजित कैम्पा निधि का घटकवार एड–हॉक कैम्पा के खातों से मिलान अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के कार्यालय के स्तर से किया जाये। इस क्रम में वन संरक्षक कार्यालय–नोडल अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 31.01.2013 तक रू॰ 1395.95 करोड़ उत्तराखण्ड कैम्पा का एड–हॉक कैम्पा में है। उक्त के मिलान हेतु विवरण सहित पत्र प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के स्तर पर अग्रेत्तर कार्यवाही भी समय से पूर्ण करा ली जाय।

   *(कार्यवाही – अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी)*

2. संचालन समिति द्वारा स्वीकृत APO 2012–13 के अंतर्गत रेंज स्तर हेतु 60 फील्ड वाहनों (4 wheeler) के क्रय के लिए अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिए गए।

   *(कार्यवाही – अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)*

3. सम्पूर्ण देश में उत्तराखण्ड राज्य एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें समुदाय/वन पंचायतों के माध्यम से पंचायती वनों का प्रबन्धन किया जाता है। उक्त हेतु प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत का पद स्वीकृत है तथा वन पंचायत नियमावली, 2005 के प्राविधानों के अंतर्गत वन संरक्षक से लेकर वन आरक्षी तक वन पंचायतों के माध्यम से पंचायती वनों के प्रबन्धन हेतु नियोजन, क्रियान्वयन व अनुश्रवण में शामिल रहते हैं। अतः कैम्पा निधि के अन्तर्गत वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का कार्य वार्षिक कार्ययोजना में प्राविधानित किए जाने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिए गये।

*(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)*

4. मनरेगा के अनुरूप कार्य प्रणाली/Guidelines को राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप अपनाये जाने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिये गये।

*(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क)*

5. बन्दर जनित समस्या निवारण हेतु डिडोली (चमोली) व छिन्ही (टनकपुर) में बन्दरों हेतु ट्रांजिट बाड़े/Rescue Centre के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के माध्यम से प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव के द्वारा तकनीकी/विधिक पहलुओं पर भारत सरकार को मत प्रेषित किया जाये।

*(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड)*

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.4: कार्यकारी समिति/संचालन समिति के निर्णयों/भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन की स्थितिः–** भारत सरकार से निर्देशों एवं उत्तराखण्ड कैम्पा की कार्यकारी समिति एवं संचालन समिति में हुए निर्णयों के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय स्तर पर Accounting software Tally में कैम्पा के लेखा की प्रविष्टि, कैम्पा के MIS से सृजित मासिक प्रगति रिपोर्ट, GIS Coordinates/Lat./Long की सूचना की MIS में प्रविष्टि किए जाने तथा कैम्पा कार्यालय स्तर से कराई गई आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं वार्षिक लेखा परीक्षा पर अनुपालन की प्रभागवार अद्यावधिक स्थिति का विवरण सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

**उक्त को संज्ञान में लेते हुए समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन प्रभागों की अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2010–11 व वर्ष 2011–12 के APO के सापेक्ष किये गये कार्यो के GIS Coordinates/Lat./Long की सूचना की MIS में प्रविष्टि दिनांक 22.02.2013 तक पूर्ण नहीं की जाती है ऐसे प्रभागों उनको APO 2013–14 में शामिल न किया जाये।**

*(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क व समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण)*

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.5: APO 2012–13 के संशोधन का अनुमोदनः–** सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में कैम्पा निधि के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाना है। इस वित्तीय वर्ष में दो माह से भी कम समय शेष है। कार्यकारी समिति की अष्ठम बैठक (03.01.2013) में संशोधित APO 2012–13 को कैम्पा कार्यालय में दिनांक 20.01.2013 तक तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक–ख–1454/23–2(2) दिनांक 21.01.2013 के द्वारा दिनांक 31.01.2013 तक उपलब्ध कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। किन्तु किसी भी स्तर से उक्त APO के संशोधन का प्रभागवार एवं कार्यमदवार Break-up अभी तक कैम्पा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

मा॰ सर्वोच्च न्यायालय से अनुमोदित भारत सरकार से निर्गत राज्य कैम्पा हेतु दिशा–निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड कैम्पा के 10 वर्षीय प्रोजेक्ट में निहित ऐसे समस्त Site Specic क्षेत्र यथा–क्षतिपूरक (CA), Others (अन्य) में वृक्षारोपण कार्य प्रथम तीन वर्षों में संतृप्त (Saturate) किया जाना है। चूंकि यह कैम्पा के कार्यों के क्रियान्वयन का तीसरा वर्ष है, अतः इन समस्त क्षेत्रों में आगामी वर्षाकाल में वृक्षारोपण के लिए अग्रिम मृदा कार्य का संशोधित APO 2012–13 में समावेश आवश्यक रूप से कर लिया जाय। ऐसे निर्देश दिनांक 04.10.2012 की बैठक में संचालन समिति द्वारा भी दिए जा चुके हैं। जिन कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाएगी, वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा चर्चा उपरान्त निर्देश दिये गये कि भारत सरकार के राज्य कैम्पा हेतु दिशा–निर्देशों एवं मा॰ सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सम्बन्धी निर्देशों तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में स्थल विशिष्ट के कार्यों यथा क्षतिपूरक एवं Others के अंतर्गत आगामी वर्ष के वृक्षारोपण के लिए अग्रिम मृदा कार्य को आवश्यक रूप से पूर्ण करने हेतु तथा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में CAT Plans के क्रियान्वयन हेतु रु॰86.94 लाख की मांग के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने सहित में, वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि को जोड़कर कुल अवमुक्त धनराशि की सीमा तक (अधिकतम लगभग रु॰6000.00 लाख) APO 2012–13 के संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। स्वीकृत APO 2012–13 के जो कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं तथा मार्च, 2013 तक पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं, यथा–भवन निर्माण आदि, उनको प्रस्तावित APO 2013–14 में शामिल कर लिया जाय।

जोन स्तर से अनुमोदित उक्त संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 का प्रभागवार एवं कार्यमदवार Break-up कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए, उक्त की प्रभाग स्तर से कैम्पा के MIS में दिनांक 15.02.2013 तक Site Specific विधिवत प्रविष्टि करने के समिति द्वारा निर्देश दिये गये। तद्नुसार उक्त की समेकित संशोधित कार्ययोजना 2012–13 को तैयार कर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

*(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क व समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण)*

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.6: वर्ष 2013–14 के प्रस्तावित APO का अनुमोदनः–**

भारत सरकार, एडहॉक कैम्पा से वर्तमान तक उत्तराखण्ड कैम्पा को निम्नानुसार कैम्पा निधि प्राप्त हुई है :–

| प्राप्त धनराशि (लाख रु॰ में) | | |
|---|---|---|
| वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 | वर्ष 2012–13 | योग |
| 16440.20 | 9704.65 | 26144.85 |

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि कार्यकारी समिति की अष्ठम बैठक (03.01.2013) में प्रस्तावित APO 2013–14 को कैम्पा कार्यालय में दिनांक 20.01.2013 तक तथा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्रांक–ख–1454/23–2(2) दिनांक 21.01.2013 के द्वारा दिनांक 31.01.2013 तक उपलब्ध कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। किन्तु गढ़वाल वृत्त तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के अतिरिक्त अन्य स्तरों से उक्त APO का प्रभागवार एवं कार्यमदवार Break-up अभी तक कैम्पा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

**सदस्यगणों को यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में दिनांक 28 फरवरी 2013 तक संचालन समिति से अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 को भारत सरकार को प्रेषित किया जाना है।**

उपरोक्त के क्रम में चर्चा कर सदस्यगणों द्वारा विगत तीन वर्षों के APOs के क्रियान्वयन के अनुभव तथा APO को वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्रियान्वयन करने के भारत सरकार के राज्य कैम्पा हेतु दिशा–निर्देशों एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सम्बन्धी निर्देशों तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत चिन्हित स्थल विशिष्ट के कार्यों सम्बन्धी घटक यथा– क्षतिपूरक वनीकरण, संरक्षित क्षेत्र, Others व CAT Plans के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने को संज्ञान में लेते हुये निम्नानुसार प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 के घटकवार साईज को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया :–

| 1.NPV घटक | 2.क्षतिपूरक वृक्षारोपण | 3.संरक्षित क्षेत्र | 4.अन्य (Others) | 5. CAT Plan | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 3830.00 | 1500.00 | 200.00 | 800.00 | 2100.00 | 8430.00 |

**NPV घटक में कार्यकारी समिति द्वारा निम्नानुसार नियोजन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है :–**

- प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत के स्तर से वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु रु० 800.00 लाख।
- वन रक्षक/वन्य जन्तु रक्षक हेतु 45 चौकी निर्माण (20 चौकी गढ़वाल मण्डल, 15 चौकी कुमांऊ मण्डल व 10 चौकी वन्य जीव परिरक्षण संगठन) हेतु रु० 270.00 लाख।
- प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं हेतु रु० 10.00 लाख।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी हेतु रु० 5.00 लाख।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन हेतु रु० 5.00 लाख।
- उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद हेतु रु० 73.00 लाख।
- जैव विविधता बोर्ड हेतु रु० 32.00 लाख।
- अपर प्रमुख वन संरक्षक, कार्ययोजना हेतु रु० 15.00 लाख।
- मुख्य वन संरक्षक, एन०टी०एफ०पी० एवं आजीविका हेतु रु० 113.00 लाख।
- मुख्य वन संरक्षक, प्रचार एवं प्रसार हेतु रु० 40.00 लाख।
- मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई०टी० हेतु रु० 45.00 लाख।
- मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन हेतु रु० 30.00 लाख।
- मुख्य वन संरक्षक, वानिकी प्रशिक्षण अकादमी हेतु रु० 50.00 लाख।
- मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण विकास एवं अनुसन्धान के स्तर हेतु रु० 100.00 लाख।
- बन्दर जनित समस्या निवारण हेतु डिडोली (चमोली) तथा छिन्ही (टनकपुर) में बन्दरों हेतु ट्रांजिट बाड़े/Rescue Centre के निर्माण के द्वितीय वर्ष हेतु प्रत्येक Centre के लिए रु० 100.00 लाख की दर से रु० 200.00 लाख।
- राजाजी राष्ट्रीय पार्क हेतु रु० 442.00 लाख।
- **NPV घटक के अंतर्गत उपरोक्त प्राविधान के उपरान्त तालिका** 1.a, 1.b, 1.c **एवं** 1.e **में कुल रु० 600.00 लाख मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल, रु० 600.00 लाख मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ तथा रु० 400.00 लाख**

**प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव के स्तर से उनके अधीनस्थ प्रभागों में बचनबद्ध कार्यों के क्रियान्वयन करने के लिए APO 2013–14 के निरूपण में शामिल करने हेतु कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

सम्बन्धित सक्षम स्तरों से अनुमोदित उक्त का प्रभागवार एवं कार्यमदवार Break-up कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराने एवं कैम्पा MIS में दिनांक **22.02.2013** तक विधिवत Site Specific प्रविष्टि प्रभाग स्तर से करने हेतु समिति द्वारा निर्देश दिये गये। **जो प्रभाग/कार्यान्वयन अभिकरण निर्धारित तिथि तक उपरोक्तानुसार** APO 2013-14 **को उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं, ऐसे प्रभागों की कार्यप्रणाली को गम्भीरता से लेते हुए उक्त प्रभागों को** APO **2013–14 में शामिल न किए जाने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया।**

दिनांक 22.02.2013 तक सभी स्तरों से प्राप्त APO को समेकित कर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की आगामी बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

***(कार्यवाही–प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ एवं समस्त वन संरक्षक/निदेशक राष्ट्रीय पार्क व समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/कार्यान्वयन अभिकरण)***

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.7: उत्तराखण्ड शासन से ई–पेमेंट प्रणाली लागू किए जाने के सम्बन्ध में:–**

उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6 के शासनादेश सं॰ 3/xxxii(6)/2013 दिनांक 02.01.2013 के माध्यम से राज्य के कोषागारों/भुगतान एवं लेखा कार्यालयों एवं उपकोषागारों में 01 अप्रैल, 2013 से समस्त शासकीय भुगतानों को इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से ई–पेमेंट प्रणाली लागू किये जाने सम्बन्धी उक्त शासनादेश को सदस्यगणों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त पर समिति द्वारा चर्चा कर मत व्यक्त किया गया कि भविष्य में उपरोक्त शासनादेश को लागू किये जाने की स्थिति में कैम्पा कार्यालय स्तर से पूर्व से ही अपनाई जा रही ई–पेमेंट की प्रणाली एवं MIS विभाग के समस्त कार्यालयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 9.8: अन्य बिन्दु:–**

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि भारत सरकार की राज्य कैम्पा हेतु निर्गत गाइड–लाइन/दिशा–निर्देश एवं मा॰ सर्वोच्च न्यायालय के उक्त सम्बन्धी निर्देशों के आलोक में वन विभाग के कतिपय प्रभागों के स्तर से अन्य योजनान्तर्गत किए गए वृक्षारोपण कार्य का भुगतान कैम्पा निधि से किए जाने का परीक्षण कर लिया जाय।

***(कार्यवाही–अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)***

इसी क्रम में अध्यक्ष–कार्यकारी समिति द्वारा अवगत कराया गया कि कुमांऊ मण्डल के कतिपय वन प्रभाग द्वारा लगभग तीन लाख पौध उगाई गई है, जिसका कि प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा मौके पर निरीक्षण भी किया गया, किन्तु कैम्पा योजना के अंतर्गत APO में स्वीकृत न होने के कारण उक्त का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि पौध उगाने सम्बन्धी कुमांऊ मण्डल से प्राप्त सभी प्रस्तावों को APO 2012–13 में शामिल किया गया है। यदि जोन स्तर से पूर्व में त्रुटिवश इसका प्रस्ताव नहीं भेजा जा सका है तो संशोधित APO 2012–13 में जोन स्तर से अनुमोदन उपरान्त

इसका प्राविधान करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS में निर्धारित तिथि दिनांक 15.02.2012 तक प्रविष्टि कराते हुए उक्त की अनुमोदित Hard Copy कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाए।

*(कार्यवाही–मुख्य वन संरक्षक, कुमांऊ)*

अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुये धन्यवाद सहित बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(डॉ॰ आर॰बी॰एस॰ रावत)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–
कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

# उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

5 मन्दिर मार्ग, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेलः **ceoukcampa@gmail.com, Website :** **www.ukcampa.org**

पत्रांक– 294 /13–3(9)/2012–13 दिनांक, देहरादून, 07 फरवरी 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं उपाध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

7/2/2013
(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः–294 (1)/13–3(9)/2012–13 दिनांकित।

**प्रतिलिपिः–**

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7/2/13
(विजय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 294 (2)/13–3(9)/2012–13 दिनांकित।

**प्रतिलिपि :–**

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

07/2/13

**(विजय कुमार)**
**मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,**
**उत्तराखण्ड कैम्पा।**